(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2251–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 21/अपील/2014–15.

मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि.
द्वारा प्रबंध संचालक
कोर्पो. कायालय ई–7/एम 708
अरेरा कॉलौनी, भोपाल
शाखा कार्यालय मण्डलेश्वर .....आवेदक

विरूद्ध

1– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कसरावद जिला खरगोन
2– प्रभारी अधिकारी खनिज
जिला खरगोन
3– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री अंशुमन इरावत अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 30–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, कसरावद ने आवेदक फर्म द्वारा ग्राम माकड़खेड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 4/1 रकबा 9.360 हेक्टेयर पर अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद को प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–67/2011–12 में दिनांक 23–12–11 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 247 (7) के तहत बाजार मूल्य का दोगुना राशि 11,84,400/–रूपये अर्थदण्ड आवेदक फर्म पर अधिरोपित किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक फर्म द्वारा अपील अपर कलेक्टर, खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–8–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–4–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित है, क्योंकि संहिता की धारा 247 (7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार केवल कलेक्टर को प्राप्त है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक फर्म द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना साक्ष्य एवं प्रमाण से सिद्ध किये बिना अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक फर्म को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हे ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक फर्म द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक फर्म द्वारा ग्राम माकड़खेड़ा स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि खसरा नम्बर 4/1 रकबा 9.360 हेक्टेयर में से बिना किसी अनुमति के रेत का अवैध खनन किये जाना पाये जाने पर मौके पर आवेदक फर्म के ट्रक/डम्पर/जे.सी.बी. मशीन जब्त किये गये थे, किन्तु

आवेदक फर्म द्वारा बिना सूचना दिये जप्तशुदा ट्रक/डम्पर/जे.सी.बी. मशीन ले गये । आवेदक फर्म का उक्त कृत्य सदभाविक नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा आदेश में इस निष्कर्ष के साथ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्षों को विधिसंगत माना है कि आवेदक फर्म द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा भी आवेदक फर्म को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–:

''धारा 50–तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

2012 आर.एन. 391 ओम प्रकाश विरूद्ध मनोहर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 50–व्याप्ति निचले न्यायालयों के आदेश वैधानिक तथा उचित–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 30–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर